OFFICE OF DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

Order No. 5/166-2017 HRM-II (6) **Dated Panchkula the, 13.12.2017**

As per provision contained in Haryana Govt. Finance Department's letter No. 1/83/2008/1 PR (FD), dated 07.01.2009 forwarding therewith notification dated 31.12.2008 and modify dated 04-03-2014 for implementation of Haryana Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 & 2016 and 7(1) Haryana Civil Services (ACP) Rules, 2008 the following employees are hereby granted ACP in the grade as mentioned against their names, 'Subject to verification of entries made in the service book, grading of ACRs & certification of No pending enquiry/ Proceedings against the official and on completion of their satisfactory service.'

Sr. No.	Name Desig and Place of posting	ACP Stage 1,2,3	Functional pay revised as per HCS Rules 2016	Due Date	Completion. 8/10/ 16/ 20 /24/ 30 Years
1.	Satyavir Singh, SSM/ESHM now PGT Pol.Sci, GSSS Alewa (Jind)	3rd	ACPL-13	01.04.17	24 yrs as Master
2.	Dharampal SSM/ESHM, GGMS Badhana (Jind)	3rd	ACPL-13	01.10.17	24 yrs as Master

VIRENDER LATHER
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

ENDST NO. EVEN DATED PANCHKULA THE, 15.12.17

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:- Regd.

1. District Elementary Education Officer. **Jind** w.r.t. his memo No. -Nil- dated -Nil- It is requested that enclosed service book and personal file may be sent to concerned school and all copies send to concerned at your own level. Please ensure that all facts and figures are checked up at the time of Pay fixation of the official concerned.
2. Head of institution, concerned.
3. Official, concerned.
4. I.T. Cell.

SUPERINTENDENT HRM-II
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकुला।

सेवा में

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
झज्जर।

यादी क्रमांक 27/1–2005 HRM-II(1)
दिनांक, पंचकुला। 15/12/2017

विषय– **श्री महावीर सिंह, सेवा निवृत मौलिक मुख्यध्यापक, रा0व0मा0वि0 खुडन जिला झज्जर का दिनांक 01.04.2015 से 16.07.2015 तक की अवधि का वेतन निकलवाने बारे।**

–0–

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषयांकित मामले मे आपको निर्देश दिये जाते है कि श्री महावीर सिंह, सेवा निवृत मौलिक मुख्यध्यापक, रा0व0मा0वि0 खुडन जिला झज्जर को विकंलागता के आधार पर निदेशालय के पत्र क्रमांक 27/1–2005 HRM-II(1) दिनांक 16.07.2015 को 58 वर्ष की सेवा उपरान्त 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः दिनांक 01.04.2015 से 16.07.2015 तक की अवधि का वेतन तुरन्त निकलवाकर निदेशालय को सूचित करे।

अधीक्षक एच0आर0एम0–II
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

पृष्ठांकन समः
रजिस्टर्ड

दिनांक पंचकूला। 15/12/2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. प्राचार्य, रा0व0मा0वि0 खुडन जिला झज्जर को भेजकर सूचित किया जाता है कि श्री महावीर सिंह, सेवा निवृत मौलिक मुख्यध्यापक का दिनांक 01.04.2015 से 16.07.2015 तक का वेतन तुरन्त निकलवाना सुनिश्चित करे।
2. श्री महावीर सिंह, सेवा निवृत मौलिक मुख्यध्यापक, गांव व डा0 गुढा जिला झज्जर।
3. आई0 टी0 सैल।

अधीक्षक एच0आर0एम0–II
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

D:\WORK OF HRM-II BRANCH 2017\UMESH\Umesh\Umesh Letters.docx

OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION, HARYANA PANCHKULA

Order No. **15/424-2017 HRM-II(5)** Dated, Panchkula, the 04-12-2017

Smt. Suman, Math Mistress, GGSSS Kharawar (Rohtak) is hereby granted the following leave:-

Sr. No.	Name of Leave	From	Instructions applicable
1.	Child care leave	27-11-2017 to 23-02-2018	C.S. Instruction No. 11/102/2009-3 FR dated 01.02.2016/05.07.2012/05.11.2012

With permission to Affix/Suffix holidays.

1. That the official would have continues to officiate in class-III during her proceeding on leave with permission to Affix/Suffix holidays.
2. That she would draw the usual HRA and other allowances during the period of leave and she is likely to return to the post to which these allowances are attached.
3. That the officer/official would have continued to officiate in Class-III but she proceeds on leave during above period.
4. That alternate arrangement be made before employee's going on CCL so that there would be no adverse effect on the studies of the students.

Virender Lather
Additional Director Admn.
O/o Director Elementary Education
Haryana, Panchkula.

Endst. No. Even: **Dated, Panchkula, the** 7-12-17

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd.

1. District Elementary Education Officer, **Rohtak** w.r.t. their Memo No. **E-1-2017/1429 dated 17.11.2017.**
2. Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
3. Principal/Headmaster, GGSSS Kharawar (Rohtak).
4. Smt. Suman, Math Mistress, GGSSS Kharawar (Rohtak).
5. Technology Officer (I.T Cell).

Superintendent HRM-II
for Director Elementary Education
Haryana, Panchkula
7/12/17

D/WORK OF HRM-II BRANCH 2017/CHILD CARE LEAVE/SANCTION OF CHILD CARE LEAVE *

From

Director Elementary Education, Haryana,
Panchkula.

To

District Elementary Education Officer,
Yamunanagar.

Memo No. 12/106-2017 HRM-II (3)
Dated, Panchkula, the **13.12.2017**

Subject:- **Adjustment of displaced guest faculty Master/Mistress.**

Kindly refer to the subject cited above.

The following guest faculty Master/Mistresses are hereby adjusted in the School mentioned against his/her name as per workload and demand:-

Sr. No.	Name, Desg, Emp ID & present place of posting of guest faculty	Place where guest faculty adjusted.
1.	Smt. Preeti Dayal, Science Mistress, GMSSSS Bilaspur (Yamuna Nagar)	GMS Dussani [6345](Yamuna Nagar)

Note : - TA/DA will not be admissible.

Superintendent HRM-II
for Director Elementary Education
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even **Dated, Panchkula.the** 13-12-17

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Technology Officer (I.T. Cell).

Superintendent HRM-II
for Director Elementary Education,
Haryana, Panchkula

रिकार्ड की सूचि–श्री राजबीर सिंह, डी0पी0ई0, रा0व0मा0वि0 मुंगाण, जिला रोहतक।

1. ज़िला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक का पत्र कमांक ई–1–15/2079 दिनांक 25.03.2015।
2. प्राचार्य रा0व0मा0वि0 मुंगाण, ज़िला रोहतक का पत्र दिनांक 07.11.2014 तथा 09.12.2014 ।
3. FIR No.312 dated 20.10.2014 at Police Station, Urban Estate, Rohtak

गवाहों की सूची :–

1. प्राचार्य रा0व0मा0वि0 मुंगाण, जिला रोहतक।
2. Police official of Police Station, Urban Estate, Rohtak.

(एस0 सिंह)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय
e-mail: eduprimaryhry@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

कार्यालयः निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला
(ज्ञापन)

आदेश क्रमांक 14/39-2015 HRM-II (5)   Dated Panchkula the, 18.10.2017

1 इनके द्वारा **Sh. Rajbir Singh, DPE, GSSS Mungan (Rohtak)** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, के नियम–7 के अन्तर्गत उनके विरूद्व कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्व अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।

2 इनके द्वारा **Sh. Rajbir Singh,** से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है। कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते है या नहीं। उन्होने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते है।

3 इसके द्वारा **Sh. Rajbir Singh,** को आगे सूचित किया जाता हैं कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहता है तो उन्हे आयुक्त एंव महानिदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हे केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि आयुक्त एंव महानिदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के पास है और जो मामलें के साथा पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है। तो उन्हे वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **Sh. Rajbir Singh,** ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो आयुक्त एंव महानिदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ की अभिरक्षा में नही है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है। फिर भी **Sh. Rajbir Singh,** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज की निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नही माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा। कि उन्हे कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।

4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहिऐं।

5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

निदेशालय क्रमांक
दिनांक

(एस. सिंह)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

Regd. **Sh. Rajbir Singh, DPE,**
GSSS Mungan (Rohtak)

पृष्ठांकन क्रमांक सम –   दिनांक, पंचकूला 13/12/17

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. District Elementary Education Officer, Rohtak.
2. Principal/Headmaster, GSSS Mungan (Rohtak)
3. IT Cell.

अधीक्षक एच0आर0एम0–II
कृते0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

D:\WORK OF HRM-II BRANCH 2017\NEW CHARGESHEET AND AROUP SUCHI AND ABHIYOG SUCHI\New Under Rule - 8 New File.Doc

From

Director Elementary Education,
Haryana, Panchkula.

To

District Elementary Education Officer,
Gurugram.

Memo No. 13/122-2017 ET-I (1)
Dated, Panchkula 18.12.2017

Subject:- **Deputation of Smt. Sunita Sharma, JBT (1006322), GGPS Patheri (12302) District Gurugram to GPS Sector-31 (12189) District Gurugram.**

*****

Reference to this office Memo No. 13/122-2017 ET-I (1) dated 18.04.2017 on the subject cited above.

In continuation of this directorate above referred Memo No. the deputation of Smt. Sunita Sharma, JBT (1006322), GGPS Patheri (12302) District Gurugram (already working on deputation in GPS Sector-31 (12189) District Gurugram is hereby extended for 3 months against vacant post in GPS Sector-31 (12189) District Gurugram.

-Sd/-
Superintendent ET-I
for Director Elementary Education, Haryana,
Panchkula.

Endst. No. Dated Panchkula the

A copy is hereby forwarded to Assistant Director, IT Cell for information & necessary action.

Superintendent ET-I
for Director Elementary Education, Haryana,
Panchkula.

D:\ET-1 Branch\SARITA\ASHOK\draft\English draft.docx

अभियोग सूची विरूद्व – श्री राजबीर सिंह, डी०पी०ई०, रा०व०मा०वि० मुंगाण, जिला रोहतक।

....

यह कि श्री राजबीर सिंह, डी०पी०ई०, रा०व०मा०वि० मुंगाण, जिला रोहतक ने डी०पी०ई० के पद पर कार्य करते हुए जो अनियमिताएं की उनके लिए उन्हे निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है :–

यह कि आप दिनांक 25.10.2014 से बिना किसी सूचना व सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विद्यालय से अनुपस्थित रहे है। जिस बारे विद्यालय द्वारा पत्र दिनांक 31.10.2014, 07.11.2014 तथा 09.12.2014 के तहत अनुपस्थिति बारे सूचना की मांग की। इसके उपरान्त BEO Rohtak के कमांक न0 6–1–15/419 दिनांक 06.01.2015 के अनुसार आपके मूल तथ्य प्रस्तुत करने को कहा गया। तब दिनांक 15.01.2015 व 09.02.2015 को घर से रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अनुपस्थिति बारे सूचना विद्यालय को प्राप्त हुई कि कर्मचारी FIR No.321 दिनांक 20.10.2014 सैक्शन 302/120-B-201/34 IPC तथा सैक्शन 25 of Arms Act के तहत पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2014 को गिरफ्तार किया गया, परन्तु आप द्वारा इस बारे विभाग को कोई सूचना नही दी गई। आपने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही की है। आपने सरकारी नियमो का उल्लघंन करके अपने आप को कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली–2016 के नियम 4 (i), (ii), (iii), (iv) व 5 की अवहेलना की है तथा अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(एस. सिंह)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

आरोप सूची विरूद्व – श्री राजबीर सिंह, डी0पी0ई0, रा0व0मा0वि0 मुंगाण, जिला रोहतक।

यह कि श्री राजबीर सिंह, डी0पी0ई0, रा0व0मा0वि0 मुंगाण, जिला रोहतक ने डी0पी0ई0 के पद पर कार्य करते हुए जो अनियमिताएं की उनके लिए उन्हे निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है :–

1. यह कि आप दिनांक 25.10.2014 से बिना किसी सूचना व सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विद्यालय से अनुपस्थित रहे है। जिस बारे विद्यालय द्वारा पत्र दिनांक 31.10.2014, 07.11.2014 तथा 09.12.2014 के तहत अनुपस्थिति बारे सूचना की मांग की। इसके उपरान्त BEO Rohtak के क्रमांक न0 6–1–15/419 दिनांक 06.01.2015 के अनुसार आपके मूल तथ्य प्रस्तुत करने को कहा गया। तब दिनांक 15.01.2015 व 09.02.2015 को घर से रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अनुपस्थिति बारे सूचना विद्यालय को प्राप्त हुई कि कर्मचारी FIR No.321 दिनांक 20.10.2014 सैक्शन 302/120-B-201/34 IPC तथा सैक्शन 25 of Arms Act के तहत पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2014 को गिरफ्तार किया गया, परन्तु आप द्वारा इस बारे विभाग को कोई सूचना नही दी गई।
2. यह कि आपने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही की है। आपने सरकारी नियमो का उल्लंघन करके अपने आप को कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली–2016 के नियम 4 I (ii), (iii), (iv) व 5 की अवहेलना की है तथा अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(एस. सिंह)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।